कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी,उत्तर प्रदेश।
17,न्यू बेरी रोड डालीबाग,लखनऊ।

पत्रांक 8/808/ले. /विकास अनुभाग/लखनऊ दिनांक. 22, मार्च, 2018

जिला गन्ना अधिकारी,
सम्भल, बदायूँ, बिजनौर, बरेली,
पीलीभीत, शाहजहॉपुर, कासगंज,
अलीगढ़।

विषयः–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु गन्ना विकास की इनांसिंग शुगर केन सीड प्रोडेक्शन इन यू.पी. के अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई कार्यक्रम हेतु जनपद सम्भल के लिए पूर्व आवंटित धनराशि रु.40 लाख में से धनराशि रु.20 लाख जनपद बिजनौर तथा जनपद बदायूँ को आवंटित धनराशि रु.35. 50 लाख में से रु.26 लाख परिक्षेत्र बरेली के अन्य जनपदों को व्यय करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र के साथ संलग्न विशेष सचिव, चीनी उद्योग अनुभाग–1, उ.प्र. शासन के शासनादेश सं.–11/2018/556/46–1–18–1000(56)/2014 दिनांक 21 मार्च, 2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु गन्ना विकास की इनांसिंग शुगर केन सीड प्रोडेक्शन इन यू.पी. के अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई कार्यक्रम हेतु जनपद सम्भल को आवंटित धनराशि रु.40 लाख में से रु.20 लाख जनपद बिजनौर को तथा जनपद बदायूँ को आवंटित धनराशि रु.35.50 लाख में से जनपद बरेली हेतु रु.8 लाख, जनपद पीलीभीत हेतु रु.8 लाख, जनपद शाहजहॉपुर हेतु रु.8 लाख, जनपद कासगंज हेतु रु.1 लाख एवं जनपद अलीगढ़ हेतु रु.1 लाख को निम्नलिखित शर्तो के अधीन, व्यय/उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में वर्णित प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के शासनादेश सं.–116/12–3–2018–100(43)/2017, दिनांक 22 फरवरी, 2018 में दिये गये शर्तो/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाए/उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायी गया।

2. गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं.–2077सी.डी./46–3–13–1000(74)/2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश 2331सी.डी./46–3–13–1000)74)/2012 दिनांक

22 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या–1492सी.डी./46–3–23–1000(72)/2012 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाईड लाईन्स) के आधार पर डी.बी.टी. की व्यवस्था के अनुसार क्रियान्वित की जायेगी।

3. गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमो को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2017–18 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाये तथा सम्पन्न कार्यक्रमो की समुचित पुष्टि कराते हुये यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियो को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओ में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त का होगा।

4. प्रस्तर–2 में वर्ष 2017–18 के लिये अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष मे ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाये। तदनुसार उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5. वित्त लेखा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–ए–1–285/दस–2012–10(29)/2011टी.सी.–II दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये है अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र सं.–1–11011/58/2013–डी.बी.टी. दिनांक 25.02.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्गित लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय। उक्त के अतिरिक्त वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं. 8/2017–बी.–1–1190/दस–2017–231/2017दिनांक 03.08.2017 में निहित व्यवस्था का अनुपालन शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय।

6. गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संलग्न कार्यक्रमो के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कृषि एवं अन्य विभागो के द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशो/नियमों एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि को आहरण कर बैंक खाते में न रखा जाय, अनुदान धनराशि को सीधे कोषागार से ही NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किया जाय।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार/शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप अवमुक्त धनराशि का व्यय सुनिश्चित करते हुए उसका

उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनुबन्ध–III पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि शासन को अवगत कराया जा सके। अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

संलग्न–यथोपरि।

(आर.पी.यादव)
अपर गन्ना आयुक्त(विकास),
कार्यालय गन्ना एवं चीनी उद्योग,उ.प्र.

पत्रांक तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उ.प्र. शासन।
2. वित्त नियन्त्रक, मुख्यालय।
3. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र.।
5. सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
6. नोडल अधिकारी,रा.कृ.वि.यो., कृषि भवन लखनऊ।

(के.के.सिंह)
वित्त नियंत्रक,
कार्यालय गन्ना एवं चीनी
उद्योग,उ.प्र.

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-22/03/2018

प्रेषण संख्या:- a
आवंटन आदेश संख्या:- 006-11-2017-18-rkvy
अनुदान संख्या:- 11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2401 - फसल कृषि कर्म(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय
02 -
13 - गन्ना उत्पादन की योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		27-सब्सिडी	योग
1	अलीगढ-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000 4005050	100000 4005050
2	बरेली-2452-उप गन्ना आयुक्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	800000 10754412	800000 10754412
3	बिजनौर-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 34607913	2000000 34607913
4	शाहजहांपुर-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	800000 9233975	800000 9233975
5	पीलीभीत-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	800000 16369800	800000 16369800
6	कांसगंज-2453-जिला गन्ना अधिकरी , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000 1552575	100000 1552575
	योग	वर्तमान प्रगामी	4600000 76523725	4600000 76523725

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छियालीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ पैंसठ लाख तेइस हजार सात सौ पच्चीस

(कृष्ण कुमार सिंह)
वित्त नियंत्रक